

फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत.....सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेकमुकाम.....भादरा.....
 मोहम्मद शरीफ.....बनाम..... जुबेदा आदि.....
 किस्म मुकदमा.....212 आर.टी.ए.न० 85 / 18सन्..... 2018.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
-------------	----------------------------------	---

18.12.2018

आज यह स्थगन प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी के द्वारा पेश किया। रिपोर्ट सिंगेदार होने के बाद प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी एवं प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र से सन्तुष्ट होकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस अमर की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी 21.01.2019 तक जारी की जाती है कि रोही मौजा अजीतपुरा के खाता सं० 300/282 के खसरा सं० 204 की 7.1960 है० बरानी वादभूमि के विशेष भू-भाग का विक्रय व अंतरण न करें। यह आदेश बैंक राको एक्ट प्रकरण, वाफ्कोस कार्य DILRMP पर लागू/प्रभावी नहीं होगा। इस सम्बन्ध में आपको कोई उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 21.01.2019 को पेश है।

R/W

वकील बादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थीउप,
 पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते.....
 दिनांक 28-2-19 को पेश हो।

R/W

27/12

28/12

पत्रावली पेश हुई थी जमीन
 अधिवारी
 दिनांक 18/12

29/12

आज यह पत्रावली मूल वाद के वाक जर्जिंग पत्र
 प्रस्तुत किये गए थे। जर्जिंग पत्र से
 सम्बन्धित मूल वाद जारी है। पत्र
 212 आर.टी.एक्ट की कार्यवाही में नहीं है।
 अतः जर्जिंग पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट के
 अभाव में जारी किया जाता है। तथा दिनांक
 18-12-18 को जारी अन्तर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा
 अपराल्त की जाती है। आदेश जुबेदा गता। पत्रावली
 जारी कर दी।

सहायक कलक्टर
 (फास्ट ट्रेक) भादरा

जारी
 पत्रावली
[Signature]